ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176402 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती रचना देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रोमिला देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2021 से 19.04.2021
2	श्रीमती पूनम शर्मा	20.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री मुकेश कुमार	01.04.2021 से 19.04.2021
2	श्री वलवीर सिंह	20.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.03
2	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.44
3	6.7	भू राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.05
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	2.32
5	7.2	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.83
6	7.3	न्यूनतम निविदा आधार पर स्वीकृत दरों पर वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान करना	0.02
7	8	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	5.82

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.11.2023 से 05.12.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	12/2021	09/2021
2022–23	06/2022	05/2022

अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2023/–249 दिनांक 05.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक इन्दौरा के मल्टीसिटी चैक संख्या 057559 दिनांक 22.12.2023 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क) वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–243 दिनांकः 30.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021–22	82731	347088	429819	381167	48652
2022–23	48652	548150	596802	496679	100123

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021–22	803338	3341626	4144964	2275826	1869138
2022–23	1869138	4446718	6315856	4412942	1902914

कुल योग (1+2) 100123+1902914 = 2003037

(ख) बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹20,03,037/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹20,03,037/– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित्त	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	20076007033	99278
2	तीसरा वित्त	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055766819	0
3	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055766808	0

4	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055766820	
5	वी.के.वी.एन.वाई / आई.सी.डी.एस / एस.डी.पी / एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055766842	5314
6	एन.आर.एच.एम	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055766853	
7	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055766831	
8	15वाँ वित्तायोग	सी.बी.आई राजाखासा	3839979524	13696
9	एस.बी.एम (PFMS)			17
10	हस्तगत शेष			8
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः				₹20030
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹20030
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹20030
अन्तरः–				₹

(ग) लेखा खाता / खाताबही तैयार न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ / लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ / लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 248 दिनांकः 05 / 12 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ / लेखा खाते तैयार किये जा रहे हैं।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित्त आदि शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों तथा सभा निधि के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध एक खाता 20076007033 खोला गया था तथा वी.के.वी.एन.वाई, आई.सी.डी.एस, एस.डी.पी, एस.डी.आर. एफ के लिये एक खाता 50055766842 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/248 दिनांकः 05.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया,

जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹19.03 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–243 दिनांक 30.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹19,02,914/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	टी.एस.सी	31.03.2023	1721
2	आई.सी.डी.एस/एस.डी.पी/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.आर.एफ	31.03.2023	531401
3	एन.आर.एच.एम	31.03.2023	109
4	14वाँ वित्तायोग	31.03.2023	44
5	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	1369639
		कुल जोड	1902914

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न

होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अन्तर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.44 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–243 दिनांकः 30/11/2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर/गृहकर की मद में ₹43,500/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा है।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	11650	640	50	32000	43650	32150	11500
2022-23	11500	640	50	32000	43500	00	43500
नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 43500/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिससे **परिशिष्ट–3** के अन्तर्गत प्रस्तुत आंकड़ों की अंकेक्षण में पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित

दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0235–00–800–03'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021–22	800
2	2022–23	2000
	जोड़	**2800**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/248 दिनांकः 05/12/2023 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.32 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,31,616/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/248 दिनांकः 05/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.83 लाख की राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–" 5"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹82500/– का अनियमित भुगतान किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/248 दिनांकः 05.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम निविदा आधार पर स्वीकृत दरों पर वस्तु एवं सेवा करके रूप में ₹0.02 लाख का अतिरिक्त भुगतान करनाः–

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न प्रकरण में न्यूनतम निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया गया था जिसमें क्रय किये गये सामान पर निविदा में प्रस्तुत/स्वीकृत दरों पर अतिरिक्त रूप में वस्तु एवं सेवा कर ₹1690 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था। जबकि प्रस्तुत/स्वीकृत दरों में वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त रूप में भुगतान करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं था।

अनुदान	वाउचर सं0 /दिनांक/ बिल सं0	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	जी.एस.टी सहित भुगतान	जी.एस.टी बिना भुगतान	अधिक भुगतान
1.वी.के.वी. वाई.एन	54/07.10.22/ 248	मेन गेट	मै0पवन इंजिनियरिंग वर्क्स हार्डवेयर स्टोर बपू	11076	9386	1690

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–248 दिनांकः 05.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार उक्त अतिरिक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अंकेक्षणावधि में किये गये ऐसे अन्य अतिरिक्त भुगतानों की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8 ₹5.82 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

चयनित माह के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹5,82,023/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	वी.के.वी. वाई.एन	44–55/07.09.21	नि0 शेड नजदीक मण्डी चौक वार्ड 3	363363
2	वी.के.वी. वाई.एन	56–58/07.09.21	पूर्ण कार्य शेड नजदीक मण्डी चौक डाह कुलाडा 2	33600
3	एस.डी.आर. एफ	59–63,70–79/07.09.21	मुरम्मत रास्ता रत्न चन्द के घर से प्रीतम चन्द के घर तक	185060
			कुल योग	**₹582023**

उक्त निमार्ण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/248 दिनांकः 05/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट–ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/248 दिनांकः 05.12.2023 द्वार सचिव ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना।

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/243 दिनांकः 30.11.2023 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण

के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	.....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–243 दिनांकः 30.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 84 दिनांक 05.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

19 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

459 – 463 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)385/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डाह कुलाड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DAHKULARA FOR THE YEAR 2021-22 &2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	82731	347088	429819	381167	48652
2022-23	48652	548150	596802	496679	100123

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	803338	3341626	4144964	2275826	1869138
2022-23	1869138	4446718	6315856	4412942	1902914

Panchayat Secretary
Gp. Dahkulara
Dev. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

ANNEXURE – 2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN -AID OF GP DAHKULARA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCES
TSC	2021-22	7	350000	350007	0	350007
	2022-23	350007	51700	401707	399986	1721
ICDS/VKVNY/SDP/SDRF	2021-22	218421	1280784	1499205	1379807	119398
	2022-23	119398	1511936	1631334	1099933	531401
MPLAD	2021-22	33982	768	34750	0	34750
	2022-23	34750	0	34750	34750	0
NRHM	2021-22	101	4	105	0	105
	2022-23	105	4	109	0	109
14TH FC	2021-22	32061	268	32329	32285	44
	2022-23	44	0	44	0	44
15TH FC	2021-22	518766	1177630	1696396	331562	1364834
	2022-23	1364834	1331581	2696415	1326776	1369639
MGNREGA	2021-22	0	532172	532172	532172	0
	2022-23	0	1551497	1551497	1551497	0

(परिशिष्ट–"3" पैरा सख्यां " 6.1' के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पचांयत डाह कुलाड़ा विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगडा हि0प्र0 –176402

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 तथा 2022–23 में 640–640 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष कीं दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	11650	640	50	32000	43650	32150	11500
2022-23	11500	640	50	32000	43500	00	43500
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹43500/– है।						

Verified
7/2023

Panchayat Secretary
Panchayat
Dah Kulara
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–" 4 "

ग्राम पंचायत डाहकुलाडा विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश , औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक / स्टोर क्रय करना। पैरा संख्या– " 7.1 " में संदर्भित

अनुदान	वो.स. / दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. / दिनांक	मात्रा / रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.वी.के.वी. वाई.एन	44 / 07. 09.21	रेत (5% GST के साथ)	4163 / 18.03.21	10cu3@1200	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	12600	निविदा
2.वी.के.वी. वाई.एन	45 / 07. 09.21	बजरी (5% GST के साथ)	4185 / 19.03.21	10cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10500	निविदा
3.वी.के.वी. वाई.एन	46 / 07. 09.21	बजरी (5% GST के साथ)	4186 / 18.03.21	10 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10500	निविदा
4.वी.के.वी. वाई.एन	47 / 07. 09.21	रेत (5% GST के साथ)	1087 / 23.06.21	10 cu3@1200	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	12600	निविदा
5.वी.के.वी. वाई.एन	48 / 07. 09.21	बजरी (5% GST के साथ)	1088 / 23.06.21	10 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10500	निविदा
6.वी.के.वी. वाई.एन	49 / 07. 09.21	बजरी (5% GST के साथ)	1092 / 23.06.21	10 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10500	निविदा
7.वी.के.वी. वाई.एन	50 / 07. 09.2021	वायर इत्यादि	224 / 22.06.2021	-	मै0 राज सेल्स ऐजंसी भपू इन्दौरा	6141	निविदा
8.वी.के.वी. वाई.एन	56 / 07.09.21	बजरी (5% GST के साथ)	1090 / 07.09.21	10 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10500	निविदा
9. वी.के. वी.वाई.एन	57 / 07.09.21	रेत (5% GST के साथ)	1085 / 23.06.21	10 cu3@1200	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	12600	निविदा
10 वी.के. वी.वाई.एन	58 / 07.09.21	बजरी (5% GST के साथ)	1086 / 23.06.21	10 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10500	निविदा
11.एस.डी. आर.एफ	59 / 07.09.21	रेत (5% GST के साथ)	2212 / 24.08.21	08 cu3@1200	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10080	निविदा
12.एस.डी. आर.एफ	60 / 07.09.21	बजरी (5% GST के साथ)	2213 / 24.08.21	09 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	9450	निविदा
13.एस.डी. आर.एफ	61 / 07.09.21	रेत बजरी (5% GST के साथ)	2214 / 24.08.21	01 cu3@1200 08 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	1200 8000	निविदा
14.एस.डी. आर.एफ	62 / 07.09.21	रेत (5% GST के साथ)	2252 / 25.08.21	08 cu3@1200	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	10080	निविदा

15एस.डी. आर.एफ	63 / 07. 09.21	बजरी (5% GST के साथ)	2253 / 25.08.21	09 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	6000 3000	निविदा
16.एस.डी. आर.एफ	72 / 30.09.21	रेत बजरी (5% GST के साथ)	47 / 13.07.21	05 cu3@1200 03 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	9000	निविदा
17.एस.डी. आर.एफ	73 / 30.09.21	बजरी (5% GST के साथ)	2319 / 27.08.21	09cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	4000	निविदा
18.एस.डी. आर.एफ	74 / 30.09.21	बजरी (5% GST के साथ)	2320 / 27.08.21	04u3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	6300 13650	निविदा
19.एस.डी. आर.एफ	80–85 / 30.09.21	रेत बजरी (5% GST के साथ)	2352,77,78,8 2,83,84,85	05 cu3@1200 13 cu3@1000	मै0 जय श्री हरी राम उद्योग स्टोन कैशर बांया अटारियां	14100	निविदा
20.वी.के. वी.वाई.एन	54 / 07.10.21	एल्युमिनियम खिडकी (18% GST के साथ)	249 / 01.10.22	3 no@4000	मै0 पवन इजीनियरिंग वर्कस हार्ड स्टोर राजाखासा	4130 2360	निविदा
21वी.के. वी.वाई.एन	55 / 07.10.21	फलशदरवाजा सनमाईका 18% GST के साथ)	249 / 01.10.22	1 no@3500 2 no@1000	मै0 प्रधान प्लाईवूड स्टोर नंगल भूर	3000 4000 2000	निविदा
22.15वां वित	09 / 10.05.22	मिक्चर मशीन वाटर टैंक सीमेंट ढुलवाई	95 / 16.04.22	6days@500 8days@500 80bags@25	मै0 राजैन्द्र सरकारी ठेकेदार भपू इंन्दौरा	1500 1000 2375	निविदा
23.15वां वित	21 / 12.05.22	मिक्चर मशीन वाटर टैंक सीमेंट ढुलवाई	100 / 04.05.22	3days@500 2days@500 95bags@25	मै0 राजैन्द्र सरकारी ठेकेदार भपू इंन्दौरा		
				कुल जोड़		231616	

Panchayat Secretary
GP. Dahkuiara
Dev. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

22

परिशिष्ट– 5

ग्राम पंचायत डाहकुलाड़ा खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"7.2" के सन्दर्भ में)

क.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वो0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2021–22								
	अनुदान –वी.के.वी.वाई.एन, एस.डी.आर.एफ,मनरेगा								
1.	मै0 जय श्री हरी ग्राम उद्योग स्टोन क्रैशर बांया अटारियां	44–49,56–63, 72,73–86,10–28,33–39,42–47 / 07.09.21,30.09.22,21.05. 22 / 4163,4185,1087,1088,1092,1090,1085,1086,2212,2213,2214,2252,2253,निल,2319–2322,2353,2360,2350,2352,2377,2378,2382,2383,2384,2392,2118,4560,61,4589,4590,4888,4889,94,4895,4575,4896,2119,2136,2513,2534,2594,95,2790,92,4061,4074,4073,4204,4205,4206,4207,4386,87,4402,4403,4404,4405	रेत	–	106	1.62	172	80	13760
			बजरी	–	339	1.52	515	80	41200
			बोल्डर	–	–	2.24	–	80	
								जोड	54960
								पेनल्टी 25 %	13740

Panchayat Secretary
GP. Dahkulara
Dev. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

23

									जोड	
				2022–23						
				अनुदान– 15वां वित्त						
2.	मै0 हरि ओम स्टोन टेडर्स बांया अटारियां	91–96,12–20 / 18.10.22,12.05. 22 / 198,298,199,297,,296,328,139,142,140, 141,146,148,143,144	रेत बजरी बोल्डर	– – –	27 62 –	1.62 1.52 2.24	44 94 –	80 80 80	3520 7520 –	
									जोड	11040
									पेनल्टी 25 %	2760
									जोड	13800
									कुल जोड(1+2)	82500

Panchayat Secretary
GP. Dehkuara
Dev. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

24